न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 24/2025 बउनवानी एस.एम. सिघंल बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर,स0मा0
आरटीआई कार्यकर्ता एवं प्रेस रिपोर्टर, पुराने पोस्ट ऑफिस के पास बडा बाजार निवाई
GCMS No-2025/ 97

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
24.4.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 12.2.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर" *सवाईमाधोपुर दैनिक भास्कर दिनांक 6.2.2025 मे छपे समाचार मे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सवाईमाधोपुर के नेतृत्व में कोटा यूनिवर्सिटी कोटा के परीक्षा नियंत्रक के नाम दिये गये ज्ञापन की प्रति, कितने छात्र/छात्राओ ने भाग लिया एवं उक्त ज्ञापन पर की गयी कार्यवाही की जानकारी सहित कुल 3 बिन्दुओ की सूचना* " उप जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः सूकाअ/2024/653 दिनांक 24.4.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 12.2.2025 मे चाही गयी सूचना के संबंध में अवगत कराया कि दैनिक भास्कर दिनांक 6.2.2025 मे छपे समाचार पत्र मे वर्णित ज्ञापन उपजिला कलेक्टर कार्यालय मे प्राप्त नही होने के कारण उक्त सूचना दिया जाना सम्भव नही है जिसके संबंध मे अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 547 दिनांक 7.3.2025 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत जवाब मे अंकित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 12.2.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना से संबंधित रिकार्ड (दैनिक भास्कर दिनांक 6.2.2025 मे छपे समाचार पत्र मे वर्णित ज्ञापन) उपजिला कलेक्टर कार्यालय सवाईमाधोपुर मे उपलब्ध/संधारित नही होने के कारण अपीलान्ट को वांछित सूचना उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। Signature Not Verified Digitally signed by Shubham Chaudhary Date: 2025.06.25 18:11:03 IST Reason: SelfAttested प्रमाणित प्रतिलिपि कलेक्ट्रेट सवाई माधोपुर (शुभम चौधरी) जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

Scanned with OKEN Scanner